II

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

आ0सं0 372452 / पटना, दिनांक 31/5/18

ग्रा0वि0-6/स्था0 जि0ग्रा0वि0अभि0प्रशासन/स्था0-11/2012

सप्तम वेतन आयोग के अनुशंसाओं के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प सं0-3590 दिनांक-24.05.2017 के द्वारा राज्य के सरकारी सेवको के लिए पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक-01.01.2016 से लागू किया गया है। राज्य के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के दिनांक-01.04.1999 के पूर्व से नियुक्त एवं नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के संदर्भ में भी उक्त पुनरीक्षित वेतनमान लागू किये जाने का मामला विचाराधीन था । इस पर सम्यक रूपेन विचारोपरान्त उक्त अभिकरण कर्मियों को निम्नवत पुनरीक्षित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

क्र.सं.	पदनाम	वर्तमान वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान (लेवल)
1	अधीक्षक	9300-31800 (PB-2)	4600	लेवल-7
2	प्रधान सहायक / प्रधान लिपिक	9300-31800 (PB-2)	4200	लेवल-6
3	लिपिक-सह-टंकक /लेखापाल/लेखा लिपिक/सहायक/आशुलिपिक-सह-टंकक	5200-20200 (PB-1)	2400	लेवल-4
4	चालक	5200-20200 (PB-1)	1900	लेवल-2
5	परिचारी / चौकीदार आदि समूह 'घ' के पद	Martic- 5200-20200 (PB-1) Non Matric- 4440-7440 (1S)	1800 1650	लेवल-1

2. उक्त पुनरीक्षित वेतनमान मे वेतन निर्धारण दिनांक-01.01.2016 से नोशनली किया जायेगा । परन्तु वास्तविक आर्थिक लाभ दिनांक-01.04.2017 से देय होगा ।

3. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प सं0-3590 दिनांक-24.05.2017 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किया जायेगा ।

4. यह पुनरीक्षित वेतनमान जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के नियमित कर्मचारियों को ही देय होगा । प्रतिनियुक्ति अथवा अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के मामले में यह लागू नहीं होगा ।

5. इस पर होने वाला व्यय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन के वेतन मद से वहन होगा ।

6. सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अपने प्रबंध पर्षद से सहमति प्राप्त कर ही इसे लागू करेंगे ।

7. मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग की सहमति इसमें प्राप्त है ।

8. एतद् विषयक पूर्व में निर्गत सभी आदेश / परिपत्र तदनुसार संशोधित समझे जाएँगे ।

(कँवल तनुज) 30/5

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 372452 / पटना दिनांक 31/5/18

प्रतिलिपि- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार/ आई0टी0 प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30/5

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 372452 / पटना दिनांक 31/5/18

प्रतिलिपि- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विभाग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / आप्त सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

30/5

सरकार के संयुक्त सचिव

आदेश 47 (D.Drive)